बी एम-9 (भाग - 1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A041-20242025-41-2-2025-CN-1801602

विषय:-पुनर्विनियोग के माध्यम से मद संख्या- ''3452-पर्यटन-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-16-मथुरा में उत्सवों का आयोजन मद में धनराशि की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
044	3452800010300 (अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय)	01 (वेतन)	6,70,00,000 रुपये छह करोड़ सत्तर लाख मात्र	2,70,00,000 रुपये दो करोड़ सत्तर लाख मात्र	77,50,000 रुपये सतहत्तर लाख पचास हजार मात्र	77,50,000 रुपये सतहत्तर लाख पचास हजार मात्र	5,92,50,000 रुपये पाँच करोड़ बानबे लाख पचास हजार मात्र	2024-2025
कुल					**₹ 77,50,000**	**₹ 77,50,000**		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
044	3452800010300 (अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय)	47 (कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय)	15,00,000 रुपये पन्द्रह लाख मात्र	8,00,000 रुपये आठ लाख मात्र	8,00,000 रुपये आठ लाख मात्र	23,00,000 रुपये तेईस लाख मात्र	2024-2025
044	3452800010300 (अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय)	15 (गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद)	1,00,00,000 रुपये एक करोड़ मात्र	50,00,000 रुपये पचास लाख मात्र	50,00,000 रुपये पचास लाख मात्र	1,50,00,000 रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र	2024-2025
044	3452800010300 (अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय)	13 (टेलीफोन पर व्यय)	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	6,50,000 रुपये छह लाख पचास हजार मात्र	6,50,000 रुपये छह लाख पचास हजार मात्र	16,50,000 रुपये सोलह लाख पचास हजार मात्र	2024-2025

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
044	3452800010300 (अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय)	08 (कार्यालय व्यय)	25,00,000 रुपये पच्चीस लाख मात्र	8,00,000 रुपये आठ लाख मात्र	8,00,000 रुपये आठ लाख मात्र	33,00,000 रुपये तैंतीस लाख मात्र	2024-2025
044	3452800010300 (अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय)	02 (मजदूरी)	15,00,000 रुपये पन्द्रह लाख मात्र	5,00,000 रुपये पाँच लाख मात्र	5,00,000 रुपये पाँच लाख मात्र	20,00,000 रुपये बीस लाख मात्र	2024-2025
कुल				**₹ 77,50,000**	**₹ 77,50,000**		

उपरोक्त पुनर्विनियोग धनराशि निम्नलिखित शर्तो व प्रतिबंधों के अधीन निर्गत की जा रही है:-

1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:- आलोच्य वर्ष में कतिपय कार्मिकों के सेवानिवृत्त होने एवं उनके स्थान पर नवनियुक्तियां नहीं होने की स्थिति में वर्ष 2024-25 में लेखाशीर्ष 3452-पर्यटन-80-सामान्य-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान के मानक मद 01-वेतन में रू0 150.00 लाख की बचत सम्भावित है।

2- स्तम्भ 8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित व्यय निम्नलिखित कारणों से है। उक्त तालिका के स्तम्भ-9 में वर्णित अतिरिक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2024-25 में उपलब्ध धनराशि की आवश्यकता होने के कारण है।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-150,151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

4- वित्तीय वर्ष 2024-25 की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर आंकलित है।

संख्या:RE-budget-1-406-E-7-256-X-2024-25-दिनांक:20-02-2025

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय,
उ0प्र0 प्रयागराज

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

(मनजीत सिंह)
अनु सचिव।

संख्या - 67/41-2-2025-CN-1801602, दिनांक 25 फरवरी, 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. उप निदेशक, पर्यटन, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
8. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।